



Court Case No - 331/23.

ju

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फा. सं.: NCST/DEV-335/MH/85/2022-RO-BH (ESDW)

श्री आस्तिक कुमार पाण्डेय,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला- औरंगाबाद,
कलेक्टर कार्यालय औरंगाबाद
महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.aurangabad@maharashtra.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक 16.02.2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. आवेदक की कब्जे वाली भूमि पर वन विभाग द्वारा फसल को बर्बाद कर भूमि से बेदखल करने के सम्बंध में श्री मच्छिंद्र वसंत भील, मु. सिंदोल, पोस्ट वडगांव, तहसील सोयगांव, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) की ओर से दिनांक 24.02.2022 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 18.04.2022.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 03 फरवरी, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



हस्ताक्षर
03.02.2023

न्यायालय अधिकारी
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003